**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2565**

**19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**सीमा पर गोलाबारी के कारण जान-माल की हानि**

**2565. श्रीमती रजनी पाटिल:**

**श्री पी. भट्टाचार्य:**

**श्री दर्शन सिंह यादव:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना पर गोलाबारी के कारण राज्य में जान और माल की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

**(क) और (ख): गत वर्ष और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2018 तक) युद्धविराम उल्लंघनों/सीमा-पार गोलाबारी में हताहत सुरक्षा कार्मिकों / सिविलियनों और युद्धविराम उल्लंघनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अवधि | सेना कार्मिक  (सीएफवी) | | बीएसएफ कार्मिक  (सीबीएफ) | | सिविलियन | | संपत्ति की हानि |
| 2017 | 15 | 58 | 04 | 14 | 12 | 79 | 57 |
| 2018 | 06 | 12 | 04 | 22 | 12 | 59 | 44 |

**(ग): इन युद्धविराम उल्लंघनों का जहां भी आवश्यक हो, उचित प्रतिकार लिया जाता है। युद्धविराम उल्लंघनों के दौरान सीमावर्ती गांवों के निवासी जो शैलिंग / गोलीबारी में असुरक्षित रहते हैं, उनके जीवन की किसी भी हानि को रोकने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार के सुरक्षित स्थानों पर मुफ्त खानपान, मकान, दवाईयां, पानी, बिजली, भोजन, साफ-सफाई और परिवहन की सभी व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। गोलीबारी से मुकाबला करने के लिए सीमा के साथ-साथ पर्याप्त किलेबंदी की जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित, सतत सुधार करते हुए व्यवस्था को और सुदृढ़ और लचीला बनाया गया है।**

**\*\*\***